

रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति होगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौर ऊर्जा व बैटरी स्टोरेज की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए

जयपुर, 18 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारागत 2 वर्षों में लिए गए निर्णयों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। साथ ही, किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक ली तथा माँग के अनुरूप विद्युत उत्पादन का संतुलन बनाने के लिए स्थाई कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय एवं ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

में आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिम्मेदार कार्मिकों और अधिकारियों की फील्ड विजिट में वृद्धि के लिए निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में बिजली की मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन का संतुलन बनाने की स्थायी कार्ययोजना तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने

अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योजना के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने ऊर्जा विभाग को प्रदेश में बैटरी स्टोरेज के साथ ही, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीन क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने “पीएम सूर्यशर मुफ्त बिजली योजना” के संचालन में प्रगति लाने के

लिए भी निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री को ऊर्जा विभाग की ओर से प्रजेेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की जानकारी दी गई। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी. श्रीनवासन सहित, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

‘इंडिगो का बुरा समय बीत चुका है’

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्क्स ने गुरुवार को कहा कि बुरा समय बीत चुका है और 19 साल पुरानी विमान सेवा कंपनी को सिर्फ संकट के “तीन दिन” के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए।

एल्क्स ने कर्मचारियों के नाम जारी एक वीडियो संदेश में, कठिन समय में साथ देने के लिए कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “बुरा समय अब पीछे छूट चुका है। कंपनी आज 2,200 उड़ानों का परिचालन कर रही है। यह टिमवर्क का नतीजा है।”

‘नारी सशस्त्रीकरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सकात्मक अस्तर या गुंजाइश पैदा करने की स्थिति में नहीं होता। पीके यह बात समझते ही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था?

राहुल गांधी की तुलना में पीके का तात्त्विक प्रियंका के साथ बेहतर रहा है। जब उनसे 2०17 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को चुनावी रणनीति सभालने को कहा गया था, तब पीके की पहली पसंद प्रियंका को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की थी। वर्ष 2०22 में भी, जब पीके ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रस्तुतियाँ दी थीं, उस समय, खबरों के मुताबिक, प्रियंका इस पक्ष में ज्यादा थीं कि उनसे पार्टी में शामिल होने का अनुरोध किया जाए।

पीके अपने करियर को इस तरह परिभाषित करते हैं—दस साल वर्ल्ड बैंक में, दस साल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में और अब दस

साल बिहार की स्थिति सुधारने के लिए। ‘एकला चालो’ के अपने घोषित रास्ते से किसी भी तरह का हटना उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या के समान होगा।

समझा जाता है कि व्यावहारिक सोच रखने वाले पीके ने प्रियंका के साथ हुई इस मुलाकात में, अनौपचारिक रूप से और बिना किसी पारिश्रमिक के, अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है।

राजनीति की राह अनिश्चित होने के कारण, पीके का मानना है कि मौजूदा निराशाजनक हालात के बावजूद, कांग्रेस की किस्मत फिर से पलट सकती है। जेएसपी सूत्रों के अनुसार, प्रियंका को उन्होंने यह सलाह भी दी है कि देश की राजनीति में बढ़ते लैंगिक रुझान को देखते हुए, उन्हें पार्टी के कामकाज में और अधिक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए, ताकि पिछले वर्षों में राहुल के खिलाफ चलाए गए नकारात्मक प्रचार को संतुलित किया जा सके।

‘ अगर केरल में जीतना है ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
इसका उत्तर है, क्या काम? असल में उनके पास या तो बहुत कम काम है या कोई काम ही नहीं है। अधिकांश राज्य के फैसले के.सी. वेणुगोपाल द्वारा ही लिए जाते हैं।

और बिना उनके “ओके” के, वे कोई निर्णय नहीं ले सकते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने, पंजाब के एआईसीसी महासचिव हैं, वेणुगोपाल की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेते।

नेताओं का कहना है कि पंजाब एक समृद्ध राज्य है, जिसमें बहुत पैसा है, और वेणुगोपाल एक ऐसा समूह नियंत्रित करते हैं, जो केवल उन्हें जवाब देता है।

राजस्थान के प्रभारी रंधावा भी इस समूह का हिस्सा हैं और रंधावा के माध्यम से वेणुगोपाल राजस्थान को नियंत्रित करते हैं।

रंधावा के अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और सीएलपी नेता टीकाराम जुली के साथ करीबी रिश्ते हैं।

जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी इस समूह द्वारा की गई है, जिससे राज्य नेताओं में काफी नाराजगी पैदा हुई है और राहुल गांधी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की पूरी अवधारणा को नकार दिया गया है।

अशोक गहलोत पुनर्वाँसित होने के लिए इच्छुक हैं और वेणुगोपाल

- राजस्थान में प्रभारी रंधावा यह भूमिका निभा रहे हैं तथा वे अशोक गहलोत, डोटासरा व जुली को साथ लेकर राजस्थान में कांग्रेस संगठन चला रहे हैं।**

- गहलोत किसी तरह अपना पुनर्वास चाहते हैं तथा वेणुगोपाल अब उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवाना चाहते हैं और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए वेणुगोपाल तर्क दे रहे हैं कि गहलोत को दिल्ली भेजना इसलिए भी जरूरी है, जिससे नये नेताओं को काम करने का पूरा खुला मौका मिले और इस तर्क का मतलब यह भी नहीं कि नया नेता सचिन पायलट ही होंगे। आजकल रंधावा डोटासरा पर ज्यादा मेहरबान हैं।**

- यह व्यंग्य भी सुनाई दे रहा है कि जिस तरह वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को सम्मोहित कर रखा है, शायद केरल की जनता को भी सम्मोहित कर लें और कांग्रेस केरल में जीत कर सरकार बना ले।**

ओवरटाइम काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में लाया जा सके, भले ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ खुली बगावत की थी।

वेणुगोपाल द्वारा प्रचारित की जा रही लाइन यह है कि गहलोत को दिल्ली लाना आवश्यक है, ताकि राजस्थान में एक नए नेता के लिए जगह बन सके।

स्रोतों का कहना है कि नया नेता सचिन पायलट नहीं हो सकता, क्योंकि वेणुगोपाल डोटासरा को बढ़ावा दे

- केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जी राम जी बिल पर बहस का जवाब देते हुए विपक्षी दलों की आलोचना की**

विपक्षी दल कांग्रेस और इंडिया

गठबंधन के सांसदों के आचरण से संसदीय मर्यादाएं तार-तार हुई हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने कृत्य से

लोकतंत्र को भीड़तंत्र और गुंडातंत्र में बदला है। चौहान ने कहा, “आप जानते हैं कि विकसित भारत: रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (बीबी-जीरामजी) विधेयक पर चर्चा थी। संसद में बुधवार को इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई, हमने पूरी गंभीरता से माननीय सांसदों की बातें सुनीं, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र की प्राण है। लेकिन विपक्ष द्वारा जैसे अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़कर उछाले गए, तो क्या ये बापू का अपमान नहीं है।

इस मामले में गिरफ्तार होने वाला

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार

नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार है जो

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का

निवासी है। उसे केंद्रीय एजेंसी ने नयी

दिल्ली से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम

अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के

विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

एनआईए की जांच से राष्ट्रीय राजधानी को

दहला देने वाले इस कार